न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/216/2023	03-02-2023	20-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनाक 04.03.2022

उपस्थितः-

01- श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक

-::निर्णय::-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर. /आवंटन/2021-22/7129 दिनांक 04.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 122 रकबा 6.50 बारानी 2 मे से 1.30 वाके ग्राम बलदेवगढ, तहसील-टहला, जिला-अलवर की भूमि का आवंटन प्रकाश पुत्र कजोड जाति मीना निवासी ग्राम टोडायसिंहपुरा, तहसील-टहला, जिला-टहला को आवंटन किया गया है, के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। अप्रार्थी आवंटी अनुसार आवंटी/अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब मे कथन किया गया कि अप्रार्थी आवंटी लंबी अवधि से लगातार काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है, जिसके संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /7129 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प0 12-3/राजस्व/ 2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट मे आवंटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है, एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटी अप्रार्थी का निवास स्थान टोडायरसिंहपुरा, तहसील–टहला, जिला–टहला अंकित किया गया है, जों आवंटित आराजी वाके ग्राम बलदेवगढ मे स्थित है, प्रावधानानुसार आवंटी उसी ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, जो भिन्न ग्राम /ग्राम पंचायत के व्यक्ति को आवंटन होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताविक जॉच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजीका (प्रारुप–4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदघोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिर्पोट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक की सूचना की तामील कब हुई इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है ना ही तामील कुनिन्दा की रिर्पोट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिर्पोट संलग्न नही है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहाकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। आंशिक रकबे का आवंटन है, नजरी नक्शा संलग्न नही है, एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटी अप्रार्थी का निवास स्थान टोडायसिंहपुरा, तहसील–टहला, जिला–टहला अंकित किया गया है, जों आवंटित आराजी वाके ग्राम बलदेवगढ मे स्थित है, प्रावधानानुसार आवंटी उसी ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, जो भिन्न ग्राम /ग्राम पंचायत के व्यक्ति को आवंटन किया गया है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है, एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यायल पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत् कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तो की पालना नही कर आराजी का आवंटन किया गया है। प्रकरण में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। ग्राम बलदेवगढ उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आती है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल. आर./आवंटन/2021–22/7129 दिनांक 04.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/7129 दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

आतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)